

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
NATIONAL MEDICAL COMMISSION

आचार और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड
Ethics and Medical Registration Board

पौकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली - 110077
Pocket - 14, Sector - 8, Dwaraka, New Delhi - 110077

पात्रता प्रमाणपत्र

ELIGIBILITY CERTIFICATE

सं.

No.NMC/Eligi./2023-017241



R.15012/022676/2023-Regn

(भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 12 और 13 (4ख) के अंतर्गत बनाए गए "किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए पात्रता संबंधी शर्त विनियमावली 2002" के अनुसार) जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम धारा 61(2) के साथ पढ़ा जाय।

(In terms of "the Eligibility Requirement for taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulations, 2002" Framed under the Section 12 & 13 (4B) of the Indian Medical Council Act, 1956) read with section 61(2) of the National Medical Commission Act 2019

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी श्री/सुश्री SUDHANSHU RAI सुपुत्र/सुपुत्री श्री KRISHNA PRASAD RAI द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों/दस्तावेजों और घोषणापत्र के अनुसार वह ऐसे स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के लिए किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में दाखिले हेतु आवेदन करने का/की पात्र है, जिसके परिणामस्वरूप स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमावली, 2002 जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम धारा 61(2) के साथ पढ़ा जाय के अनुसार विदेशी चिकित्सा संस्थान में भारत में एमबीबीएस के समतुल्य, "किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला हेतु पात्रता संबंधी शर्त विनियमावली, 2002 जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम धारा 61(2) के साथ पढ़ा जाय" के अनुसार "प्राथमिक चिकित्सा शैक्षिक योग्यता" प्राप्त होगी। यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित की शर्त के अधीन होगा: (i) उसके द्वारा स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर भा.आ. प. विनियमावली, 1997 और 2009 में यथा संशोधित स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमावली, 2002 जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम धारा 61(2) के साथ पढ़ा जाय के अनुसार पात्रता संबंधी मापदंड पूरा करना, (ii) ऐसे विदेशी चिकित्सा संस्थान और विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्धारित अन्य शर्तें पूरी करना, जिसके साथ वह संस्थान संबद्ध है, (iii) उसके पास यात्रा संबंधी अन्य दस्तावेजों के साथ वैध पासपोर्ट होना।

This is to certify that as per the particulars /documents and the declaration submitted by the candidate Mr./Ms. SUDHANSHU RAI S/oD/o KRISHNA PRASAD RAI he/she is eligible to apply for admission in a foreign medical institution for pursuing / graduate medical course leading to "Primary Medical Qualification" as per Eligibility Requirement for taking admission in Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulation, 2002 read with Section 61(2) of National Medical Commission Act 2019 equivalent to MBBS in India in Medical institution abroad as per screening Test Regulations, 2002 read with Section 61(2) of National Medical Commission Act 2019 . This certificate is subject to the following (i) his /her fulfilling the eligibility criteria as per MCI regulation on Graduate Medical Education, 1997 & Screening Test Regulations, 2002 as amended in 2009 read with Section 61(2) of National Medical Commission Act 2019 (ii) fulfilling other conditions prescribed by such foreign medical institute and university with which such institution is affiliated (iii) his/her possessing valid passport with other travel documents.

यह भी उल्लेख किया जाता है कि यह प्रमाणपत्र केवल आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वयं सत्यापित ऑनलाइन विवरणों/दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है।

It is further stated that this certificate is issued only on the basis of self attested particulars/documents submitted by the applicant online

1. नाम

NAME :SUDHANSHU RAI

2. पिता का नाम

FATHER'S NAME :KRISHNA PRASAD RAI



3. पता

ADDRESS : VILL-YADAVPUR, PO & PS BHELDI, BHELDI, SARAN, BIHAR INDIA-841402

4.श्रेणी
CATEGORY : OBC

5.राष्ट्रीयता
NATIONALITY : INDIAN

6.जन्म तिथि
DATE OF BIRTH : 12/09/2000

7.अर्हक परीक्षा के ब्योरे
DETAIL OF QUALIFYING EXAMINATION

| | | | | | |
|---|------------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| परीक्षा का नाम NAME OF EXAMINATION : ANNUAL INTERMEDIATE EXAMINATION, 2017 | विषय SUBJECT | कुल अंक MARKS TOTAL | प्राप्तांक MARKS OBTAINED | प्रतिशत % | परिणाम RESULT |
| स्कूल/कॉलेज नाम SCHOOL/ COLLEGE NAME : COLLEGE OF COMMERCE, ARTS & SCIENCE, PATNA | English | 100 | 75 | 75.00 | PASS |
| बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम BOARD/UNIV. NAME : BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD | Physics | 100 | 63 | 63.00 | PASS |
| अनुक्रमांक ROLL NO : 17010767 | Chemistry | 100 | 68 | 68.00 | PASS |
| उत्तीर्ण होने की तारीख DATE OF PASSING : 2017 | Biology/Bio tech | 100 | 64 | 64.00 | PASS |
| | PCB | 300 | 195 | 65.00 | PASS |

8. दाखिले का वर्ष
PROPOSED YEAR OF ADMISSION : 2018

9. उस मेडिकल कॉलेज/संस्थान का नाम, जिसमें दाखिला मांगा गया है
NAME OF MEDICAL COLLEGE INSTITUTION WHERE IN ADMISSION IS SOUGHT : TENTISHEV SATKYNBAY MEMORIAL ASIAN MEDICAL INSTITUTE , KYRGYZSTAN

10. उस विश्वविद्यालय का नाम, जिसके साथ उपर्युक्त कॉलेज/संस्थान संबद्ध है
NAME OF UNIVERSITY TO WHICH ABOVE COLLEGE / INSTITUTION IS AFFILIATED : TENTISHEV SATKYNBAY MEMORIAL ASIAN MEDICAL INSTITUTE , KYRGYZSTAN



कृते राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

For NATIONAL MEDICAL COMMISSION

(शर्तें एवं निबंधन पीछे दिए गए हैं)
(Terms & Conditions Overleaf)

टिप्पणी : यह प्रमाणपत्र, ऊपर कॉलम संख्या 9 में उल्लिखित संस्थान में दाखिला लेने के लिए वैध है। शर्तें और निबंधन *।

Note: This certificate is valid for taking admission in the institution mentioned in the column no.9 above only. Terms and condition are mentioned overleaf

1. यह पात्रता प्रमाणपत्र, अनन्य रूप से आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना / दस्तावेजों / घोषणापत्र / शपथपत्र / वचनपत्र के आधार पर जारी किया जाता है।
This eligibility certificate is issued exclusively on the basis of information/documents/declaration/affidavit/undertaking furnished by the applicant.

2. अभ्यर्थी की जानकारी में यह बात लाई जाती है कि विदेशी चिकित्सा शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात उसे राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों से अनंतिम ६ स्थायी पंजीकरण प्राप्त करने में स्वयं को समर्थ बनाने के लिए, समय-समय पर संशोधित स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमावली, 2002 जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम धारा 61(2) के साथ पढ़ा जाय। में विनिर्धारित शर्त के अधीन, भारत में आयोजित किया जाने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट (स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमावली, 2002 जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम धारा 61(2) के साथ पढ़ा जाय। के अनुसार) उत्तीर्ण करना होगा।
It is brought to the notice of the candidate that after he/she obtains the 'foreign medical qualification', he/she shall have to pass a screening test (as per Screening Test Regulation, 2002) read with Section 61(2) of National Medical Commission Act 2019 to be held in India subject to the condition prescribed in the Screening Test Regulations, 2002 read with Section 61(2) of National Medical Commission Act 2019 and amended from time to time to enable him/her to obtain provisional/permanent registration from the State Medical Councils.

3. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, यदि समुचित समझे, अपने आवेदनपत्र में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की परिशुद्धता की अपनी ओर से जांच-पड़ताल करने और या अभ्यर्थी से इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र होगी और अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी सूचना के इस जांच-पड़ताल के दौरान या किसी उत्तरवर्ती चरण में असत्य या गलत पाए जाने की स्थिति में, इस प्रकार प्रदान किया गया पात्रता प्रमाणपत्र, वापस ले लिए गए के रूप में रद्द कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी के विरुद्ध लागू होने वाले कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, ऐसा अभ्यर्थी, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13 (4क) जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम धारा 61(2) के साथ पढ़ा जाय। के अंतर्गत विनिर्धारित स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने से वर्जित हो जाएगा और उसे राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों द्वारा पंजीकृत भी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

The National Medical Commission shall be free, if deemed appropriate, to investigate on its own into the correctness of information furnished by the candidate in his/her application and /or call for any further information in this regard from the candidate and in the event of any information furnished by the candidate being found to be incorrect or false during such investigation or at any subsequent stage, the Eligibility Certificate so granted will be cancelled as withdrawn an action will be taken against the candidate as per applicable Law. In addition, such a candidate shall stand debarred from appearing in the Screening Test prescribed in U/S 13(4A) of the Indian Medical Council Act, 1956 read with Section 61(2) of National Medical Commission Act 2019 and also shall not be registered by the State Medical Councils. The decision of the Council in this regard shall be final.

4. यह भी नोट किया जाए कि किसी भी व्यक्ति को स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक रु
(i) वह भारत का एक नागरिक न हो या उसे भारत की समुद्रपारीय नागरिकता (ओसीआई) प्रदान न कर दी गई हो और उसके पास कोई ऐसी प्राथमिक चिकित्सा शैक्षिक योग्यता न हो, जिसकी पुष्टि, उस देश जिस में उक्त शैक्षिक योग्यता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित है में, मेडिकल प्रेक्टिशनर चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नामांकन हेतु मान्यताप्राप्त शैक्षिक योग्यता होने के लिए संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा न कर दी गई हो।
(ii) उसने किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में किसी स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए पात्रता शर्तें विनियमावली, 2002 जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम धारा 61 (2) के साथ पढ़ा जायके अनुसार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया हो।

It may also be noted that no person shall be allowed to appear in Screening Test unless:

- (i) He/she is a citizen of India or has been granted Overseas citizenship of India (OCI) and possesses any primary medical qualification, which is confirmed by the Indian Embassy concerned to be recognized qualification for enrolment as medical practitioner in the country in which the institution awarding the said qualification is situated.
(ii) He/She had obtained Eligibility Certificate from National Medical Commission as per the 'Eligibility Requirement for taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulations, 2002' read with Section 61(2) of National Medical Commission Act 2019.
5. अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने के लिए आवेदन करने के समय पर, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

The candidate must produce this Eligibility Certificate issued by the National Medical Commission at the time of applying for appearing in the Screening Test.

6. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा अभ्यर्थी को जारी किया गया प्रमाणपत्र, उसे किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान/ विश्वविद्यालय में किसी स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिलालेने के अलावा किसी भी अन्य अधिकारका हकदार नहीं बनाएगा।

The Eligibility Certificate issued to the candidate by the National Medical Commission shall not entitle him/her to any right, whatsoever, other than to take admission in a graduate medical course in a foreign medical institution/university.

7. सभी विवाद, दिल्ली के सभी स्थानीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।
All disputes will be subject to the jurisdiction of all Local Courts of Delhi.